न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 42/2022 बउनवानी दीपक शर्मा बनाम लो.सू.अधि.एवं तहसीलदार गंगापुर सिटी
निवासी 1/29 हाउसिंग बोर्ड देवीपुरा सीकर, तहसील सीकर

GCMS No-2022/72 On line N0- 321715073568721

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज
27.4.2022	पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही हुआ। लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार गंगापुर सिटी की ओर से पैरोकार राजस्व उपस्थित। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने हेतु दिनांक 6.1.2022 को लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार गंगापुर सिटी के कार्यालय में अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर प्रार्थना पत्र मे उल्लेखित निम्नांकित सूचनाऐं उपलब्ध कराये जाने हेतु निवेदन किया गयाः– 1- please provide copies of sale deeds of properties situated at hospital road gangapur city, sold individualy or jointly by smt phoolvati w/o shri mohan gupta, shri radamohan gupta and shudhir kumar agrwal s/o shri radhamohan gupta r/o gangapur city sold or after 1-1-2018 प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में उल्लेखित सूचना, लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार गंगापुर सिटी द्वारा अपीलान्ट को अन्दर मियाद उपलब्ध नही कराये जाने के कारण उक्त अधिनियम की धारा 19(1) के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार गंगापुर सिटी को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया साथ ही सम्बन्धित उभयपक्षों की सुनवायी तलबी जरिये नोटिस की गयी। नियत पेशी पर अपीलान्ट उपस्थित नही हुआ। दौराने सुनवायी पैरोकार राजस्व ने कथन किया कि लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार गंगापुर सिटी के जवाब नोटिस क्रमांक/सू.अ.अ./2022/42 दिनांक 18.4.2022 से अवगत कराया कि अपीलान्ट द्वारा चाही गयी सूचना यथा सेल डीड के पंजीयन क्रमांक व दिनांक अंकित नही होने के कारण सूचना दिया जाना सम्भव नही होने के कारण अपीलान्ट को वस्तुस्थिति से जरिये पत्रांक 9 दिनांक 4.2.2022 से वस्तुस्थिति से अवगत कराया जा चुका है। इसलिए अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने बाबत पैरोकार राजस्व द्वारा निवेदन किया गया। पैरोकार राजस्व द्वारा किये गये कथन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ, कि अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 6.1.2022 को प्रेषित प्रार्थना पत्र मे चाही गयी सूचना (विक्रय विलेख का क्रमांक व दिनांक अंकित नही करने) का पूर्ण विवरण अंकित नही होने के कारण अपीलान्ट को सूचना उपलब्ध नही करवायी गयी जिसके संबंध मे अपीलान्ट को जरिये पत्रांक 9 दिनांक 4.2.2022 से वस्तुस्थिति से अवगत कराया जा चुका है। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि चाही गयी सूचना पंजीयन से संबंधित है तथा प्रशासनिक सुधार विभाग (सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ) जयपुर के परिपत्र क्रमांक प.20(84)प्रसु/सूअप्र/2009पार्ट दिनांक 12.10.2018 के अनुसार पंजीयन से संबंधित दस्तावेजों का निरीक्षण करने अथवा नकल लेने की कार्यवाही पर सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 लागू नही है तथा ये पंजीयन अधिनियम के तहत निर्धारित शुल्क जमा करवाकर ही प्राप्त की जा सकती है। इसलिए अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया। Signature Not Verified Digitally signed by Suresh Kumar Ola Date: 2023.03.17 17:19:33 IST Reason: SelfAttested (सुरेश कुमार ओला) जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर